रा. आवेदन क्र. 220/17 मूली v/s ग्रा.पं. आडेल प्यारियों सरपंच वगैरा

5 5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.आडेल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड तलबी दिनांक 10.11.2017 को जारी हुई थी। जो द्वितिय नोटिस की प्रति पर रसीदे चस्पा है। एवं लोक अदालत नोटिस जारी करने के उपरांत भी विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिन्हें सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिये गये है। ऐसी सरूत में विप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी की ओर से एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में पेश की गई थी। जो राजस्व अपील संख्या 19/2014 पर दर्ज हुई थी। उक्त अपील उतरदातागण की तलबी के स्टेज पर विचाराधीन चली रही थी। तब उपखण्ड गुड़ामालानी से नवसृजित होकर उपखण्ड सिणधरी बनने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को उक्त पत्रावली दिनांक 17.10.2016 को स्थानान्तरण की गई। और अपीलाण्ट के पूर्व नियुक्त अधिवक्ता द्वारा इस संबध में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गई। और 01.3.2017 को मूल अपील अपीलाण्ट व उसके अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण अपील को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। जबकि इस संबध में पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता पत्रावली स्थानान्तरण की जानकारी प्रार्थी को नहीं दी गई। और प्रार्थी के बार बार पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता के पास पत्रावली संबधी जानकारी के लिए जाने पर बताया गया कि पत्रावली सिणधरी उपखण्ड में स्थानान्तरण हो गई है,और मै सिणधरी न्यायालय में नहीं जा सकता हुं। तो प्रार्थी द्वारा मुझे अधिवक्ता मुकर्रर किया गया। मेरा द्वारा पता करने पर जानकारी हुई तो पता चला की अपीलाण्ट की अपील अदम पैरवी में खारिज हो गई है। जो जानकारी प्राप्त होते ही अन्दर म्याद उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया है आगे ओर कथन किया कि अपीलाण्ट की अपील तलबी के स्टेज पर खारिज हुई है,जिसमें अपीलाण्ट की गलती नहीं होकर पूर्व मुकर्रर अधिवक्ता की है। और प्रार्थी द्वारा जानकारी होने के अन्दर म्याद उक्त आवेदन पेश किया गया है। साथ ही देरी के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया गया है। जो न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए मूल अपील

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

में पारित आदेश दिनांक 01.3.2017 को अपास्त कर अपील को पुनःबरामद किये जाने के आदेश फरमावें जावें।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के सलंग्न राजस्व अपील संख्या 19/2014 अनवान मूली बनाम ग्राम पंचायत आडेल जरिये सरपंच वगैरा दिनांक 8.12.2014 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में दायर हुई थी। और उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा उक्त प्रकरण को स्थानान्तरण करने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा दिनांक 17.10.16 को दायर किया गया था। और दिनांक 01.3.2017 को अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट की अपील को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। उक्त तथ्यों की पुष्टी आवेदन के सलंग्न मूल अपील की आदेशिकाओ की प्रमाणित प्रति से होता है। अपीलाण्ट की अपील खारिज की गई थी। तब पत्रावली तलबी व जबाव में विचाराधीन चल रही थी। इस प्रकार स्पष्ट है,कि अपीलाण्ट की अपील प्राथमिक स्टेज पर खारिज हुई है। जिसमें अपीलाण्ट के अधिवक्ता की गलती के कारण अपील खारिज हुई है। इसमें अपीलाण्ट का सीधा कोई दोष नहीं है। और प्राकृतिक न्याय का सिद्वात है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर होना चाहिए। न की तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर। इस कारण प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. अन्दर म्याद सुमार करते हुए स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील संख्या 14/2016 नये मुकदमा संख्या 33/2016 अनवान मूली बनाम ग्राम पंचायत आडेल जरिये सरपंच वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.3.2017 को अपास्त किया जाता है। और मूल अपील को पुनःबरामद किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05-07-18 को मजमें आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner